के साथ पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बंद किया एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विश्लेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS.2064/Act/ 2018/5 दिनांक 02.01.2019 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन माध्यम घी अनसेफ** का पाया गया । तदन्तर अप्रार्थी के निवेदन पर खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन माध्यम घी अनसेफ** की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पुना से पुनः जांच करवाई गई। जिसकी जांच रिपोर्ट Certificate No. RFL/DO/176/19/356/2019 दिनांक 20.04.2019 की जांच में सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड **गुलाब जामुन माध्यम घी** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकातलनामा व जवाब पेश किया। तदन्तर दोनों पक्षों का कथन सुना गया।

3. विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर बहस में कथन किया कि इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से **गुलाब जामुन माध्यम घी** का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक LS.2064/Act/ 2018/5 दिनांक 02.01.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन माध्यम घी अनसेफ** पाया गया। अप्रार्थी के निवेदन पर खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन माध्यम घी अनसेफ** की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पुना से पुनः जांच करवाई गई। जिसकी जांच रिपोर्ट Certificate No. RFL/DO/176/19/ 356/2019 दिनांक 20.04.2019 की जांच में सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में कथन किया कि प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है तथा प्रार्थी मावा बाजार से खरीद कर गुलाब जामुन का निर्माण कर बेचता है। गुलाब जामुन के निर्माण के समय प्रार्थी द्वारा हर सम्भव यह प्रयास किया जाता है कि वह उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ उपलब्ध करावें। परन्तु मानव द्वारा हर प्रकार की सावधानी बरतने के बावजूद यदि कोई कमी हो जाती है तो वह क्षम्य है। प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर ऐसा अपराध नहीं किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा भविष्य में हर प्रकार की सावधानी बरती जायेगी। अतः प्रार्थी का जवाब स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही अपास्त फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। जिस **गुलाब जामुन माध्यम घी** का सेम्पल लिया गया था वह अप्रार्थी की दुकान में पाया गया था अप्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह मावा खरीद कर **गुलाब जामुन माध्यम घी** का निर्माण कर अपनी दुकान पर ही विक्रय करता है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिपोर्ट LS.2064/Act/ 2018/5 दिनांक 02.01.2019 प्रति संलग्न है। इस रिर्पोट के अनुसार खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन माध्यम घी** अनसेफ पाया गया। अप्रार्थी के निवेदन पर खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन माध्यम घी अनसेफ** की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पुना से पुनः जांच करवाई गई। जिसकी जांच रिपोर्ट Certificate No. RFL/DO/176/19/356/2019 दिनांक 20.04.2019 के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाये गये **गुलाब जामुन माध्यम घी** में Butyro refractometer reading 40.0 to 43.0 की तुलना में 48.5 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन माध्यम घी सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का **जामुन माध्यम घी** विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत **रूपये 50,000/– अखरे पचास हजार मात्र रूपये** की शास्ति आरोपित की जाती है और अप्रार्थी पक्ष को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें ।

6. निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 07/2019 निर्णय दिनांक :– 11.02.2020

अनवान :–

श्री नागरमल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री तोलाराम सुथार (विक्रेता मालिक) मैसर्स डे नाइट रेस्टोरेंन्ट एण्ड स्वीट्स, सुजानगढ़ रोड़, नोखा जिला बीकानेर (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी पक्ष की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थी की ओर से – श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता

निर्णय

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री नागरमल, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 04.11.2018 को अप्रार्थीपक्ष श्री मनोज कुमार पुत्र श्री तोलाराम जाति सुथार (विक्रेता मालिक) मैसर्स डे नाइट रेस्टोरेन्ट एण्ड स्वीट्स, सुजानगढ रोड़, नोखा जिला बीकानेर के यहां दुकान का निरीक्षण करने के दौरान एक ट्रे में करीबन 6 किलोग्राम **गुलाब जामुन माध्यम घी** बेचने हेतु रखा पाया गया। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उस में से 2 किलोग्राम **गुलाब जामुन माध्यम घी** एक ट्रे में वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता को 480/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। तदन्तर उक्त खरीदशुदा **गुलाब जामुन माध्यम घी** को विक्रेता एवं गवाहन को चार खाली साफ सुखी कांच की बोतलों को दिखाकर उक्त खरीद शुदा **गुलाब जामुन माध्यम घी** को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर मात्रा में डालकर कांच बोतलों में परिरक्षक फोर्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईड बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने की बोतलों पर चिपकायें और लेबल पर डी. ओ. के कोड एंव क्रमांक जे– 1500 नियमानुसार चारों नमूनों बोतलों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपका कर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर मालिक के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म परिरक्षक की मात्रा अंकित की गई एवं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता और गवाहान को पढ़ा, सुनाकर हस्ताक्षर करवायें एवं चारों नमूनों के भागों को प्रार्थी ने कब्जे में लिया। प्रार्थी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नं. 6 की प्रति

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर